Replacement of Bulbs & Tubes in Kendriya Vidyalayas

3009. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether no replacement of fuse bulbs and electric tubes has been undertaken in all class rooms for the last six months in Kendriya Vidyalayas at Lawrence Road, Pitampura and Shalimar Bagh areas;

(b) whether charges for such replacements have since been claimed four times during the last six months;

(c) whether the darkness in classrooms has been affecting the eye-sights of the students of the said Vidyalayas;

(d) whether Government propose to take some action against officials claiming fictitious payment for replacement and also responsible for darkness in classrooms; and

(e) whether Government propose to ask the concerned Principals to visit every class-room on every Friday once a week to check such bogus payments?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Replacement of fuse bulbs and electric tubes are done in the Vidyalayas as and when required.

(b) No such complaint has been received by Kendriya Vidyalaya Sangathan.

(c) There is adequate light provided in the class-rooms.

(d) Does not arise.

(e) Principals regularly visit the classrooms and check the entires before payment.

रेल दावा अधिकरणों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पद

3010. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण में सदस्यों एवं अध्यक्ष के कितने पद कब से रिक्त हैं और प्रत्येक अधिकरण में पिछले तीन वर्षों से कितने दावे लम्बित हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 से लेकर 1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक) की अवधि के दौरान इन अधिकरणों में कितने सदस्यों एवं कितने अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई तथा इन पदों पर नियुक्ति हेतु कितने व्यक्तियों के नाम कब से विचाराधीन है; और

(ग) उक्त अधिकरणों में मृत्यु, दुर्घटना और विकलांगता के कारण प्रस्तुत किए गए दावों का अधिकरण-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) कोई नहीं पिछले तीन वर्षों से लम्बित दावों की संख्या निम्नानुसार हैं:—

अहमदाबाद	:	948
जयपुर	:	कुछ नहीं
मुम्बई	:	1255

अहमदाबाद में 801 मामले और मुम्बई में सभी 1255 मामले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मंत्रिमंडल सचिवालय से स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही निपटाया जा सकता है।

(ख) उपाध्यक्ष—एक
सदस्य (न्यायिक)—दो
सदस्य (तकनीकी)—तीन

फिलहाल किसी नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोई पद रिक्त नहीं है।

(ग) प्रस्तुत किए गए मामलों की संख्या:—

	मृत्यु	घायल
अहमदाबाद	22	17
जयपुर	93	29
मुम्बई	47	45